न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 08/2021

1. बुद्धाराम पुत्र बालू जाति माली निवासी अंछापुरा तहसील महवा जिला दौसा ।

... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा। ...रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार महवा दिनांक 22.02.2021 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बुद्धाराम मु0नं0 17/2021 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थित : 1. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवलकिशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 27.10.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा ने दिनाक 22.02.2021 को ग्राम अन्छापुरा तहसील महवा के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.15 है0 पर गेहूँ व सरसों बुवाईकर अतिचार करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का हडिया ने अपीलांट के खिलाफ रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलांट ने ग्राम अन्छापुरा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1090 रकबा 0. 15 है0 पर गेहूँ तथा सरसो की बुवाई कर अतिचार करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बेदखली, पैनल्टी व 90 दिवस के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दंडित किया गया है। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त नहीं की गई है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब पेश करने हेतु उचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित हुए बिना और पटवारी से जिरह का मौका दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत भी नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की प्रति पर अपीलांट के पुत्र के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ है।

इसलिए अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में किस्म चरागाह भूमि पर संवत 2077 में 0.15है0 पर गेहूँ व सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है । परन्तु अपीलांट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं होने तथा भविष्य में भी अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट के शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार महवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2021 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official